

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./माध्य/अ-I/आदर्श वि./21312/वो-2/2014 दिनांक 12 फरवरी 2015

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु कक्षा-1 से 12 एवं कक्षा 01 से 10 तक के समन्वित विद्यालयों की स्थापना की गयी है। समन्वित विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापकों का प्रशासनिक नियंत्रण विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के अधीन होने से अध्यापकों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी। विद्यालयों के संचालन हेतु कक्षावार अध्यापकों की उपलब्धता तथा प्रभावी परिवीक्षण से शिक्षा के स्तर व गुणवत्ता में सुधार तथा ड्रॉप-आउट दर में कमी होगी।

विभाग में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिये समन्वित विद्यालयों का प्रभावी संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं-

1.0 विद्यार्थियों का नामांकन व प्रवेश -

प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 1 में प्रवेश लेकर विद्यालय की उच्चतम कक्षा 12/10वीं (यथा स्थिति) तक अनवरत गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करने की सुनिश्चितता हेतु संस्था प्रधान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे:-

- 1.1 चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे के आधार पर शिक्षा से वंचित बच्चों का प्रवेशोत्सव के द्वारा विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु प्रवेशोत्सव में जन प्रतिनिधियों/गणमान्य नागरिकों/अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। संस्था प्रधान विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के लिए कम से कम 5 बच्चों के प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित कर सकेंगे। विद्यालयों से जोड़े गये बच्चों का ठहराव भी सुनिश्चित किया जाये।
- 1.2 नव प्रवेशित बच्चों को सामूहिक रूप से तिलक/अर्चन कर पाठ्य सामग्री सहित प्रवेश दिया जाये। 05 मई को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रवेशोत्सव की समीक्षा कर 1 जुलाई से 7 जुलाई की कार्य योजना पर विचार किया जाये।
- 1.3 प्रवेशोत्सव में श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोक सेवक एवं स्वयंसेवी संस्था को ग्राम पंचायत की जुलाई माह के द्वितीय पाक्षिक बैठक में सम्मानित किया जाये एवं इस कार्यक्रम की पूर्ण फोटोग्राफी कराकर फोटोग्राफ्स ग्राम पंचायत व विद्यालय में रखी जाये। इस हेतु राशि छात्रकोष/विद्यालय कोष से व्यय की जा सकेगी।
- 1.4 नामांकन में वृद्धि के लिए प्रवेशोत्सव प्रारम्भ किये जाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण (पैम्पलेट) जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा विद्यालयों एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से राजस्व ग्राम एवं ढाणियों तक वितरित करना सुनिश्चित करें। योजनाओं के संक्षिप्त विवरण का प्रारूप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को 15 अप्रैल तक उपलब्ध करवाया जायेगा ताकि जिला शिक्षा अधिकारी 1 मई से पूर्व आवश्यक प्रकाशन एवं मुद्रण करवा सकें। इस व्यवस्था से समस्त जिलों में एक रूपता रहेगी। निदेशालय स्तर पर वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा" उत्तरदायी हों।
- 1.5 राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण विद्यालय परिसर में वॉल-पेंटिंग के माध्यम से भी संस्था प्रधान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 1.6 प्रवेशित बच्चों में से ग्राम पंचायत द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के चिन्हित कम से कम एक बच्चे को स्थानीय भामाशाह/ग्रामीण समुदाय का मुखिया/स्वयं सेवी संस्था/लोकसेवक द्वारा गोद लिया जाना भी नामांकन की दिशा में अभूतपूर्व पहल होगी।

2. शैक्षिक सुधार

- 2.1 समन्वित विद्यालयों के अधीन चल रही समस्त कक्षाओं पर नियंत्रण समन्वित विद्यालय के संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) का होगा।
- 2.2 समन्वित विद्यालयों के अधीन किये गये समस्त विद्यालयों में कार्यरत समस्त स्टाफ समन्वित विद्यालय के संस्था प्रधान के अधीन होंगे तथा इनका उपस्थिति रजिस्टर एक ही होगा। यदि विशेष परिस्थितियों में एक ही रजिस्टर संचारित किया जाना संभव नहीं है तो जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा से लिखित अनुमति प्राप्त कर ही पृथक उपस्थिति रजिस्टर संचारित किया जा सकेगा।
- 2.3 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 21(15)प्रा.शि./आयो./2012 दिनांक 10.11.2014 के द्वारा समन्वित होने वाले विद्यालयों के शिक्षकों की वेतन व्यवस्था मार्च 2015 तक पूर्व की भाँति यथावत रहेगी। इस

(हस्ताक्षर)

अवधि में प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों, सहायक कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश आदि की सूचना संस्था प्रधान द्वारा ही संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी तथा उसी अनुसार वेतन भत्ते आहरित किये जायेंगे।

- 2.4 समन्वित विद्यालय का संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कक्षा/वर्ग के लिए एक कक्षा-कक्ष हो अर्थात् किसी भी कक्षा को दूसरी कक्षा के साथ मिलाकर नहीं बैठाया जाए। अपरिहार्य स्थिति में भवन में कक्षा-कक्षों का अभाव होने पर एक ही कक्ष में बैठाई जाने वाली कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों को कक्षावार अलग-अलग बैठाकर ही किया जाये।
- 2.5 समन्वित विद्यालय का संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करे कि कक्षा 1 से 5 तक एक शिक्षक द्वारा एक ही विषय सभी कक्षाओं को पढ़ाया जाये अर्थात् विषय अध्यापक के रूप में एक शिक्षक को सभी कक्षाओं में एक विषय की जिम्मेदारी दी जाये, ताकि शिक्षक को बच्चों के एक विषय में शैक्षिक स्तर की जानकारी रहे एवं वह कार्ययोजना बनाकर कार्य कर सके।
- 2.6 शाला प्रधान को एक लीडर के रूप में अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करना है। एक अच्छा विद्यालय बनाने के लिए शाला प्रधान की भूमिका महत्वपूर्ण है। शाला प्रधान इस हेतु अपने विद्यालय की कार्य योजना तय करे। कार्य योजना के लक्ष्यों को पाने के लिए उपलब्ध भौतिक, मानवीय व वित्तीय साधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर समय-समय पर विद्यालय की उपलब्धियों और विभिन्न गतिविधियों की प्रगति पर अपने साथियों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर समीक्षा की जाये। निरीक्षण अधिकारी भी वार्षिक कार्ययोजना क्रियान्विति की प्रगति की समीक्षा करें।
- 2.7 विद्यालय समन्वयन से पूर्व जिन विद्यालयों में सीसीई लागू थी उन विद्यालयों में समन्वय के पश्चात भी सीसीई कार्यक्रम लागू रहेगा। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करते हुए निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें:-

- (i) सीसीई विद्यालयों में मूल्यांकन हेतु कक्षा 2 तथा ऊपर आधार रेखा मूल्यांकन के माध्यमिक से विद्यार्थियों का स्तर निर्धारण किया जाये तथा शिक्षण कार्य हेतु विद्यार्थियों के उप समूहों का निर्माण किया जाये। प्रत्येक कक्षा तथा विषय के अधिगत उद्देश्यों को व्यवस्थित करते हुए शिक्षण सत्र को ढाई-ढाई माह के चार टर्म में विभाजित किया जाये।
- (ii) शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुए शिक्षण की योजना तैयार की जायेगी तथा सतत् अवलोकन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आंकलन कर प्रत्येक माह के अन्त में प्रगति को उपसमूह वार समेकित रूप से दर्ज किया जाये।
- (iii) पाठ्यक्रमीय लक्ष्यों में मूल्यांकन की विविध तकनीकों एवं उपलब्धि स्तर के परीक्षण द्वारा निश्चित अवधि के अन्त में उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन कर योगात्मक मूल्यांकन किया जाये। वर्ष में कुल चार बार योगात्मक मूल्यांकन किया जाये।
- (iv) चतुर्थ योगात्मक मूल्यांकन के उपरान्त 1 मई से 15 मई तक की अवधि में अपेक्षा अनुरूप उपलब्धि न होने पर संबंधित अधिगम क्षेत्र में सुदृढीकरण का कार्य किया जाये।
- (v) सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को तीन ग्रेड्स (A,B,C) के द्वारा निम्नानुसार दर्ज किया जायेगा।

A स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता (अग्रिम स्तर की समझ)

B शिक्षक की मदद से काम करने की स्थिति (मध्यम स्तर)

C शिक्षक की विशेष मदद से काम करने की स्थिति (आरम्भिक स्तर की समझ)

- 2.8 शाला प्रधान 1 से 8 तक कक्षाओं में सर्वशिक्षा अभियान तथा कक्षा 9, 10/11 व 12 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं को लागू करना सुनिश्चित करें।
- 2.9 शाला प्रधान विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को जीवन्त व गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए समस्त अधीनस्थ अध्यापकों व कर्मचारियों के साथ माह में एक बार बैठक करें। यह बैठक पूर्णतया अकादमिक हो, जिसमें आपसी विचार विमर्श से कक्षा शिक्षण व अन्य शैक्षिक/सह शैक्षिक गतिविधियों में यथा संभव सुधार किया जाये।
- 2.10 शाला प्रधान नियमानुसार अपने कक्षा अवलोकन कार्य करना सुनिश्चित करें तथा उसका रिकार्ड भी संचारित करें तथा शिक्षकों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करें।
- 2.11 शाला प्रधान को यदि लगे कि कोई शिक्षक अपने दायित्व को ठीक से नहीं निभा रहा है तो उन्हें उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु प्रेरित किया जावे।
- 2.12 पुस्तकालय, वाचनालय तथा आई.सी.टी. लैब का प्रभावी उपयोग कर विद्यार्थियों को इसके उपयोग के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए।

मा'क

- 2.13 विद्यालयों में पुस्तकालय का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु समय विभाग चक्र में पुस्तकालय हेतु कालांश आवंटित किया जावे।
- 2.14 समन्वित विद्यालयों में छात्रों का अधिकाधिक प्रवेश सुनिश्चित किया जावे तथा संस्था प्रधान कक्षा-01 से 05 हेतु न्यूनतम 150 छात्र, कक्षा-06 से 08 तक न्यूनतम 115 छात्र तथा कक्षा-09 से 12 में प्रत्येक कक्षा में 40 से 60 विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें जिससे की कक्षा-01 से 10 की छात्र संख्या 400 तथा कक्षा-01 से 12 की छात्र संख्या 500 हो, ऐसा प्रयास सभी संस्था प्रधान सुनिश्चित करें।
- 2.15 छात्र सुविधा के दृष्टिकोण से विद्यालय का संचालन एक से अधिक विद्यालय भवनों में भी जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा किन्तु यह संख्या अधिकतम 2 विद्यालय भवनों में संचालन किये जाने तक अनुमत होगी। इन विद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के साथ-साथ प्रभावी संचालन का समस्त दायित्व माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान का होगा।
- 2.16 जिन विद्यालयों में कक्षा-01 से 12 तक संचालित की जानी है, उनमें विद्यालय के सुसंचालन की दृष्टि से कक्षा 01 से 08 तक के लिए वरिष्ठतम व्याख्याता को प्रभारी (हैड टीचर) का प्रभार दिया जावे तथा जिन विद्यालयों में कक्षा 01 से 10 तक संचालित की जानी है, उनमें विद्यालय के सुसंचालन की दृष्टि से कक्षा 01 से 05 तक के लिए वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक को प्रभारी (हैड टीचर) का प्रभार दिया जावे।
- 2.17 ऐसे समन्वित विद्यालय जिन्हें एक से अधिक भवनों में संचालित किया जा रहा है उनमें पृथक भवन में संचालित कक्षाओं के लिए भी कक्षा स्तर के अनुरूप बिन्दु संख्या 2.16 के अनुसार प्रभार दिया जाये।
- 2.18 विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धतानुसार अध्यापक/वरिष्ठ व व्याख्याताओं से माध्यमिक/प्रारम्भिक स्तर की कक्षाओं का अध्यापन कराया जा सकेगा। उदाहरणार्थ शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव में वरिष्ठ अध्यापक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं को तथा अध्यापक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं के साथ-साथ माध्यमिक कक्षाओं को शिक्षण कार्य करा सकेंगे। इसी प्रकार व्याख्याताओं से भी माध्यमिक कक्षाओं का अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा।
- 2.19 संस्था प्रधान विद्यालय से संबंधित सभी दस्तावेजों का समय पर संधारण करवायेगे।

3 शिक्षण कार्य को गुणात्मक एवं प्रभावी बनाना-

- 3.1 शाला प्रधान विद्यार्थियों के गृहकार्य की ओर विशेष ध्यान देवे। इस हेतु शिक्षकों को नियमित गृहकार्य देने के लिए निर्देशित करें। साथ ही कक्षा अवलोकन के दौरान स्वयं गृहकार्य की जांच करें। माह की समाप्ति पर संबंधित अध्यापक अपनी दैनिक दैनन्दिनी में माह की समेकित (गोश्वारा) सूचना सारांश रूप में अंकित करेंगे ताकि आलोच्य माह में अध्यापक की अध्यापन दिवसों की सुनिश्चिता की जा सके। इस हेतु समेकित सूचना (गोश्वारा) में माह में कुल दिवस, शैक्षिक कार्य दिवस, गैर शैक्षिक कार्य दिवस, अवकाश एवं राजपत्रित अवकाश का भी अंकन किया जा सकेगा।
- 3.2 विद्यार्थियों को पर्याप्त मात्रा में गृह कार्य दिया जाये तथा उसकी जांच लाल स्याही के पेन से भली प्रकार कर अध्यापक द्वारा कॉपी में हस्ताक्षर मय दिनांक किये जाये। गृहकार्य में जो त्रुटियां आये उसके सुधार हेतु विद्यार्थी को त्रुटी सुधार कार्य पृथक से दिया जाये तथा इसकी जांच भी की जावे।
- 3.3 विद्यार्थियों हेतु आयोजित परीक्षा/परखों के जो भी टेस्ट वर्तमान में हो रहे हैं उनके परिणाम से शिक्षक-अभिभावक बैठक में अभिभावक को अवगत कराया जाये। इस हेतु संस्था प्रधान द्वारा परीक्षा/परखों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित विद्यार्थी के साथ अभिभावक को अवलोकन एवं हस्ताक्षर हेतु आवश्यक रूप से भिजवाई जाये।
- 3.4 प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कमजोर विद्यार्थियों के लिए संस्था प्रधान उपचारात्मक शिक्षण हेतु कक्षाओं का आयोजन कर प्रगति में सुधार लायेगे। इस हेतु विभाग द्वारा संचालित योजना एवं कार्यक्रमों का भी समावेश कर सकेंगे।
- 3.5 विद्यालय में सामान्य ज्ञान हेतु उपलब्ध चार्ट एवं अन्य शैक्षणिक सामग्रियों का यथा स्थान प्रदर्शन किया जाये। इस क्रम में चार्ट विद्यालय के बरामदे में टांगे जाने तथा सायंकाल वापिस उतारे जाने की व्यवस्था आकर्षक कदम होगा क्योंकि विद्यार्थी चार्ट के आधार पर भी अपने ज्ञान में उत्सुकता के आधार पर बढ़ोतरी कर सकेंगे।
- 3.6 प्रार्थना सभा में प्रार्थना, समूह गान, राष्ट्रगान, प्रतिज्ञा, सूर्य नमस्कार, ध्यान, समाचार पत्रों का वाचन/विद्यार्थियों द्वारा उद्बोधन आदि का समावेश किया जाये।

- 3.7 विद्यालय में पदस्थापित शारीरिक शिक्षकों द्वारा खेलकूद, व्यायाम, योग, अनुशासन, विद्यार्थियों की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के संबंध में संस्था प्रधान के नेतृत्व में योजनानुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. सामुदायिक सहभागिता—

- 4.1 प्रत्येक विद्यालय में शाला विकास प्रबन्ध समिति एवं शाला प्रबन्ध समिति का गठन किया हुआ है। उक्त दोनों समितियों की साधारण सभा की बैठक नियमित रूप से प्रति तीन माह में एक बार आवश्यक रूप से कर इसमें विद्यालय के नामांकन विशेष तौर पर बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा की जाए। विद्यालय के पास उपलब्ध आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों पर चर्चा कर इसमें आवश्यक सहयोग लेने हेतु भी समिति के सदस्यों को प्रेरित किया जाए।
- 4.2 प्रत्येक माह के अन्तिम कार्यदिवस के दिन संस्था प्रधान शिक्षक अभिभावक परिषद् की (PTA) बैठक आयोजित करें तथा इसमें संस्था प्रधान का यह प्रयास हो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अभिभावक उपस्थित हो तथा उन्हें शाला की शैक्षणिक स्थिति तथा विद्यार्थियों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी दी जाये तथा कमजोर विद्यार्थियों के अभिभावकों की उपस्थिति के लिए पृथक् से अतिरिक्त प्रयास किये जाये, इस बैठक में शाला के शैक्षणिक, सहशैक्षणिक, गतिविधियों के प्रभावी आयोजन व अनुशासन पर विशेष चर्चा की जाये तथा इसका अभिलेख भी संधारित किया जाये।

5. विद्यालय का भौतिक विकास —

- 5.1 समन्वित विद्यालयों में सम्मिलित विद्यालयों की समस्त परिसम्पतियां यथा— भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षणिक उपकरण एवं अन्य समस्त अभिलेख समन्वित विद्यालय के अधीन स्वतः ही आ गए हैं।
- 5.2 शाला की परिसम्पतियों का उपयोग करने के संबंध में सबसे पहले संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करे कि जो स्थायी सम्पत्ति शाला में विद्यार्थी संख्या बढ़ने, अतिरिक्त संकाय खुलने पर भविष्य में उपयोग में आ सकती है तो ऐसी सम्पतियों को अन्य उपयोग के लिए हस्तान्तरित नहीं किया जाये।
- 5.3 संस्था प्रधान जब यह सुनिश्चित कर ले कि जो भवन एवं भूमि भविष्य में भी शाला के काम में नहीं आयेंगे तो ऐसी स्थिति में इन भवन एवं भूमि का उपयोग निम्न प्रकार प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा :-

- (i) अध्यापकों/शिक्षा विभाग के कार्मिकों के आवास हेतु प्रथम प्राथमिकता
- (ii) आंगनवाडी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र/पंचायत भवन/पटवार घर आदि का संचालन हेतु
- (iii) अन्य विभागों के कार्मिकों को आवास हेतु
- (iv) स्थानीय स्तर पर सामूहिक कार्यक्रम यथा शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रम, मेले, त्योहार आदि हेतु।

5.4 किराये का निर्धारण एवं प्राप्त राशि का उपयोग

- (i) शिक्षकों/कार्मिकों को आवास व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर उन्हें मकान किराये भत्ते के रूप में वेतन के साथ मिलने वाली राशि ही किराये की राशि होगी, जिसे शाला विकास समिति के खाते में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करवाकर रसीद प्राप्त करनी होगी।
- (ii) भवन का उपयोग आंगनवाडी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र/पंचायत भवन/पटवार घर स्थानीय स्तर पर सामूहिक कार्यक्रम यथा शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रम, मेले, त्योहार आदि के लिये राशि शाला विकास कोष समिति (SDMC) द्वारा तय की गई राशि होगी।
- (iii) भवन के अन्य उपयोग हेतु शाला विकास कोष एवं प्रबंध समिति (SDMC) से प्रस्ताव पारित करने पश्चात् ही उक्त कार्यवाही सम्पादित की जावे तथा इसमें पूर्णतः पारदर्शिता रखी जावे।
- (iv) किराया राशि का उपयोग विद्यालय एवं इन्हीं भवनों के रख-रखाव हेतु किया जा सकेगा।
- (v) बिजली पानी आदि के संबंध में किया जाने वाला व्यय संबंधित शिक्षक/कार्मिक/किराये पर लेने वाली संस्था/व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा।

- 5.5 जिन समन्वित विद्यालयों के पास कम भौतिक व मानवीय संसाधन हैं उनमें प्रथम चरण में भामाशाहों को चिन्हित कर शाला को गोद दिया जाये और चरणबद्ध तरीके से इन सभी विद्यालय को गोद दिये

(Signature)

जाने का प्रयास करे, जिससे समाज, जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, जिला-प्रशासन, स्थानीय निकाय प्रशासन तथा भामाशाहों का जुड़ाव इन विद्यालयों से हो सकें।

5.6

विद्यालय के भौतिक विकास हेतु शाला प्रधान सजग रहें। विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार कमरे, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, खेलने का स्थान, उपकरण तथा अन्य भौतिक संसाधनों हेतु जनसहयोग, सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से सम्पर्क कर समुचित व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें।

(सुवालाल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 समस्त जिला कलक्टर
- 4 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर
- 5 समस्त कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
- 6 अतिरिक्त आयुक्त, सर्वशिक्षा अभियान, जयपुर
- 7 अतिरिक्त आयुक्त, रमसा, जयपुर
- 8 विशेषाधिकारी-शिक्षा, शिक्षा(ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्र क्रमोंक प. 4(6)शिक्षा-1/2014 जयपुर दिनांक 11.02.2015 के क्रम में।
- 9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्या. हाजा. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
10. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)
- 11 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम व द्वितीय को भेजकर लेख है कि अपने अधीन विद्यालयों में उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें तथा आगामी वाक्पीठ माह फरवरी 2015 में संस्था प्रधानों को इसकी प्रति भी अपने स्तर पर उपलब्ध करावें।
- 12 वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को माह फरवरी 2015 के अंक में प्रकाशन बाबत।
- 13 सम्भागीय प्रभारी अधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय।

उपनिदेशक(माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर